

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में विजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:

12th Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

रेखा नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या - 1186 / का० एवं प्रशा० / जविनिलि० / 22-04(69) / 2010 / वाल्यूम-11

दिनांक 03/5/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा विभागीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)/(जानपद) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०)/(जानपद) के पद पर प्रोन्नत करते हुए निम्नवत् तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ अभिज्ञान संख्या	वर्तमान पद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थल	प्रोन्नति के उपरान्त पद	प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
01.	श्री वेद प्रकाश तिवारी (201011)	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	जल विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा, बादशाहीबाग, सहारनपुर	अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०)	सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, माताटीला, ललितपुर।
02.	श्री अनिमेष श्रीवास्तव (2131)	सहायक अभियन्ता (जानपद)	जानपद निर्माण खण्ड, खारा, बादशाहीबाग, सहारनपुर	अधिशासी अभियन्ता (जानपद)	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), निगम मुख्यालय, लखनऊ।

- उपर्युक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।
- उक्त तालिका के क्र०सं०-1 पर अंकित अभियन्ता की प्रोन्नति याचिका सं०-56241/2016, पीयूष प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रयागराज के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।
- उपरोक्त तालिका के क्र०सं०-2 पर अंकित अभियन्ता की प्रोन्नति याचिका सं०-2139/2016, आशीष कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उ०प्र० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।
- उपरोक्त प्रोन्नत अभियन्ताओं को स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या-79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि तक वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन कर प्रस्तुत करें।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या - 1186 / का० एवं प्रशा० / जविनिलि० / 22-04(69) / 2010 / वाल्यूम-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।

3. मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी/खारा/माताटीला।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पिपरी/ओबरा/खारा/मुजफ्फरनगर/माताटीला।
9. अधिशासी अभियन्ता, जानपद निर्माण खण्ड, खारा-बादशाहीबाग, सहारनपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता (मु०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाईल।

KSH
09/05/2022
(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०)